रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2016/फाल्गुन 21, 1937
No. 89] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/ PHALGUNA 21, 1937

भारतीय दंत्य परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

सं. डीई–218–2016.—दंतचिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16वां) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत्य परिषद समय अनुसूची तैयार करने के लिए रिट याचिका संख्या 76/2015 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.03.2015 के निदेश के अनुसरण में डीजीएचएस की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से मुख्य विनियमों यथा ''भारतीय दंत्य परिषद (नए दंत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए तथा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने तथा दंत कालेजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने) से संबंधित विनियम, 2006'' में निम्नानुसार संशोधन करती है:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन:–**

   (i) इन विनियमों को ''भारतीय दंत्य परिषद (नए दंत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए तथा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने और दंत कालेजों की प्रवेश क्षमता) बढ़ाने से संबंधित (8वां संशोधन) विनियम, 2016'' कहा जाएगा।

   (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मुख्य डीसीआई विनियम, 2016 के विनियम 4(2) में ''भारतीय दंत्य परिषद (नए दंत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने और दंत कालेजों की प्रवेश क्षमता) बढ़ाने से संबंधित (प्रथम संशोधन) द्वारा जो 16.01.2006'' को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया, द्वारा सन्निविष्ट मौजूदा 'अनुसूची' एतद्द्वारा निकाल दी जाती है और निम्न नई अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है।

"अनुसूची"
[देखें विनियम 4(2)]

नए दंत कालेज खोलने/स्नातक–पूर्व सीटों की संख्या में वृद्धि/अनुमति के नवीकरण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंत्य परिषद द्वारा आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई के लिए समय–सूची

क्रम संख्या	कार्रवाई का चरण	अंतिम तारीख
1.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन–पत्रों की प्राप्ति	किसी भी वर्ष 15 जून और 7 जुलाई के बीच (दोनों दिवस शामिल)
2.	केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंत्य परिषद को आवेदन–पत्रों का अग्रेषण	31 जुलाई तक
3.	भारतीय दंत्य परिषद द्वारा तकनीकी संवीक्षा, आकलन और सिफारिशें	31 दिसंबर तक
4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदक से उत्तर/अनुपालन की प्राप्ति तथा तत्संबंधी वैयक्तिक सुनवाई के लिए, यदि कोई हो तो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंत्य परिषद को अनुपालन का अग्रेषण	डीसीआई से सिफारिश की प्राप्ति से दो महीने तक लेकिन 31 जनवरी के बाद नहीं
5.	भारतीय दंत्य परिषद की अंतिम सिफारिशें	30 अप्रैल तक
6.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति का पत्र जारी करना	31 मई तक
7.	षैक्षणिक सत्र/अवधि की शुरूआत	1 अगस्त
8.	अंतिम तारीख जिस तक किसी कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्तियों पर छात्रों को दाखिल किया जा सकता है/उनके द्वारा षैक्षणिक सत्र आरंभ किया जा सकता है।	15 सितंबर तक

टिप्पणीः

(1) अनुमति के नवीकरण के संबंध में आवेदक अपना आवेदन–पत्र 31 जुलाई तक भारतीय दंत्य परिषद को भेजेंगे।
(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त समय–सूची, आवेदकों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के लिए संशोधित की जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे।

अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम षुरू करने/स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने/अनुमति का नवीकरण करने और केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय दंत्य परिषद द्वारा आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई के लिए समय–सूची

क्रम संख्या	कार्रवाई का चरण	अंतिम तारीख
1.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन–पत्रों की प्राप्ति	किसी भी वर्ष 15 मार्च और 7 अप्रैल के बीच (दोनों दिवस शामिल)
2.	केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंत्य परिषद को आवेदन–पत्रों का अग्रेषण	30 अप्रैल तक
3.	भारतीय दंत्य परिषद द्वारा तकनीकी संवीक्षा, आकलन और सिफारिशें	15 अक्तूबर तक
4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदक से उत्तर/अनुपालन की प्राप्ति तथा तत्संबंधी वैयक्तिक सुनवाई के लिए, यदि कोई हो तो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंत्य परिषद को अनुपालन का अग्रेषण	डीसीआई से सिफारिश की प्राप्ति से दो महीने तक लेकिन 15 नवंबर के बाद नहीं
5.	भारतीय दंत्य परिषद की अंतिम सिफारिशें	31 जनवरी तक
6.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति का पत्र जारी करना	28 फरवरी तक
7.	षैक्षणिक सत्र/अवधि की शुरूआत	1 मई
8.	अंतिम तारीख जिस तक किसी कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्तियों पर छात्रों को दाखिल किया जा सकता है/उनके द्वारा शैक्षणिक सत्र आरंभ किया जा सकता है।	31 मई तक

टिप्पणीः

(1) अनुमति के नवीकरण के संबंध में आवेदक अपना आवेदन–पत्र 30 अप्रैल तक भारतीय दंत्य परिषद को भेजेंगे।
(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त समय–सूची, आवेदकों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के लिए संषोधित की जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे।

एम. एल. मीना, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./395(98)]

पाद टिप्पणीः

1. मुख्य विनियम यथा भारतीय दंत्य परिषद (नए दंत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रषिक्षण के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने और दंत कालेजों की दाखिला क्षमता बढ़ाने) से संबंधित विनियम, 2006 जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 12.01.2006 को प्रकाशित किए गए थे।
2. मुख्य विनियम का पहला संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 16.01.2006 को प्रकाशित किए गए थे।
3. मुख्य विनियम का दूसरा संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 22.02.2006 को प्रकाशित किए गए थे।
4. मुख्य विनियम का तीसरा संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 02.11.2006 को प्रकाशित किए गए थे।
5. मुख्य विनियम का चौथा संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 21.05.2012 को प्रकाशित किए गए थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2016

No. DE-218-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, on the recommendation of DGHS pursuant to the direction of the Hon'ble Supreme Court in its order dated 24.03.2015 in W.P. No. 76/2015 for framing Time Schedule, with the previous approval of the Central Government, hereby amend the Principal Regulations, namely, "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" as under:-

1. **Short title and commencement**:-

(iii) These Regulations may be called the "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (8th Amendment) Regulations, 2016".
(iv) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 4(2) of the principal DCI regulations 2006, the existing 'Schedule' inserted by "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (1st Amendment) Regulations, 2006", notified in the Official Gazette on 16.01.2006 is hereby deleted and substituted with the following new schedule:-

"SCHEDULE"
[See Regulation 4(2)]

TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF NEW DENTAL COLLEGES / INCREASE OF UNDER GRADUATE SEATS / RENEWAL OF PERMISSION AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE DENTAL COUNCIL OF INDIA.

Sl. No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government.	Between 15th June to 7th July (both days inclusive) of any year
2.	Forwarding of applications by the Central Government to Dental Council of India.	By 31st July

3.	Technical Scrutiny, Assessment and Recommendations by the Dental Council of India.	By 31st December
4.	Receipt of reply/compliance from the applicant by the Central Government and for personal hearing thereto, if any and forwarding of compliance by the Central Government to the Dental Council of India.	Two months from receipt of recommendation from DCI but not after 31st January.
5.	Final recommendations by the Dental Council of India.	By 30th April
6.	Issue of Letter of Permission by the Central Government.	By 31st May
7.	Commencement of academic session/term	1st of August
8.	Last date upto which students can be admitted/Joined against stray vacancies arising due to any reason	By 15th September

Note:

(1) In case of renewal permission, the applicants shall submit the application to the Dental Council of India by 31st July.

(2) The time schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR OPENING OF HIGHER COURSES OF STUDY / INCREASE OF POST GRADUATE SEATS / RENEWAL OF PERMISSION AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE DENTAL COUNCIL OF INDIA.

Sl. No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government.	Between 15th March to 7th April (both days inclusive of any year)
2.	Forwarding of applications by the Central Government to Dental Council of India.	By 30th April
3.	Technical Scrutiny, Assessment and Recommendations by the Dental Council of India.	By 15th October
4.	Receipt of reply/ compliance from the applicant by the Central Government and for personal hearing thereto, if any and forwarding of compliance by the Central Government to the Dental Council of India	Two months from receipt of recommendation from DCI but not after 15th November
5.	Final recommendations by the Dental Council of India.	By 31st January
6.	Issue of Letter of Permission by the Central Government.	By 28th February
7.	Commencement of academic session/term	1st May
8.	Last date upto which students can be admitted/Joined against stray vacancies arising due to any reason	By 31st May

Note:

(1) In case of renewal permission, the applicants shall submit the application to the Dental Council of India by 30th April.

(2) The time schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

M. L. MEENA, Secy. I/c

[ADVT.III/4/Exty./395(98)]

Foot note:

1. The Principal Regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12.01.2006.
2. The 1st Amendment of the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 16.01.2006.
3. The 2nd Amendment of the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 22.02.2006.
4. The 3rd Amendment of the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 02.11.2006.
5. The 4th Amendment of the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 21.05.2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.